

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- २५/११/२०२५

प्रकरण संख्या- ५८/२०२५

दिनांक- २५/११/२०२५

उपखण्ड

श्री. नेलराम पुत्र कवरपाल
 पुत्र नि. गामेशगंज

नाम

सरकार जारिय तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

आदेश



प्रार्थी के खाता बुररती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारा हल्का २५११/११ मू. अ. नि. ५१०३२ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के तहत ग्राम गामेशगंज प. १० ह. २५११/११ की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या ८५ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
१.	बिक के नाम में अशुद्ध	सुरे बिके शाह बिकानेर गजपुर शाखा चौथ का बरवाड़ा	सुरे बिके शाह सुरे बिके शाखा चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिदिपी -

- तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
- प्रार्थी श्री नेलराम पुत्र कवरपाल पुत्र नि. गामेशगंज
- रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)